भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3112
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में "ओडीएफ प्लस मॉडल" के रूप में प्रमाणित गांव

†3112. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय पोर्टल पर स्व-घोषित गांवों की तुलना में स्वतंत्र सत्यापन के माध्यम से ओडिशा में "ओडीएफ प्लस मॉडल" के रूप में प्रमाणित गांवों का प्रतिशत कितना है;
(ख) ओडीएफ प्लस गांवों को मॉडल दर्जा प्राप्त करने से रोकने वाली परिचालन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का भुवनेश्वर जैसे शहरी केंद्रों के समीप अत्यधिक अपशिष्ट निकलने की समस्या से जूझ रहीं शहर के चारों ओर स्थित ग्राम पंचायतों के लिए समर्पित संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) वित्तपोषण प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) स्थानीय राजस्व स्रोतों की पर्याप्त कमी वाली ग्रामीण ग्राम पंचायतों में संग्रह मशीनरी और श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान सहित ठोस और तरल अपशिष्ट के दैनिक प्रबंधन कार्यों को बनाए रखने के लिए क्या तंत्र-स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II [एसबीएम (जी)-चरण II], एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे ओडिशा सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। एसबीएम(जी)-चरण II को 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था के साथ कवर किया गया है, जिसमें दृश्यगत स्वच्छता अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल)

में परिवर्तित करना है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सत्यापन के बाद गांवों की स्व-घोषणा के लिए प्रणाली का प्रावधान है। एसबीएम(जी) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई, 2026 तक ओडिशा के 45,052 गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित किया गया है। 31 जुलाई 2026 तक इनमें से 44,921 (99.7%) गांवों का पहला सत्यापन और 37,271 (82.3%) गांवों का दूसरा सत्यापन होने की सूचना है।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] चरण-II के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

एसबीएम(जी) चरण II कार्यसंबंधी दिशानिर्देश विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देते हैं जहां लोग सामूहिक रूप से अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हैं, उस सुधार को तय करते हैं जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं और तदनुसार सेवा और सुधार के वांछित स्तरों को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप की पहचान करते हैं। एसबीएम(जी) चरण II के तहत योजना तीन स्तरों पर की जाएगी अर्थात् प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) ग्राम कार्य योजना तैयार करेगी जो ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में इनपुट के साथ-साथ संबंधित जिला स्वच्छता योजनाओं के निर्माण के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी; जिला अपनी ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करने और एसबीएम(जी) चरण II के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों को शामिल करने के बाद एक जिला स्वच्छता योजना तैयार करेगा; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें व्यापक और सहभागी तरीके से एसबीएम(जी) चरण-II के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिला स्वच्छता योजनाओं को समेकित करते हुए प्रत्येक वर्ष एक परियोजना कार्यान्वयन योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं (एआईपी) तैयार करेंगी। इस विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अंतराल का मूल्यांकन करें और आगे की योजना बनाएं और गांवों के लिए ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त करने हेतु संचालन अंतराल को पाटने के लिए कदम उठाएं।

(ग) और (घ) एसबीएम(जी) चरण II एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एसबीएम(जी) चरण II दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वच्छता परिसंपत्तियों और अवसंरचना के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। संचालन और रखरखाव आवश्यकताओं को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वित्त आयोग अनुदान, स्थानीय राजस्व, सीएसआर फंड, राजस्व सृजन मॉडल या अन्य उपलब्ध वित्तपोषण स्रोतों के माध्यम से उनकी जरूरतों और स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा किया जा सकता है, जिसमें दैनिक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संचालन को बनाए रखना और ग्रामीण ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के वेतन का भुगतान शामिल है।
